UPKR010006032026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कासगंज।

पीठासीन अधिकारी–रामेश्वर, (एच0जे0एस0)

I.D. No.UP6537

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–320/2026

विष्णु पुत्र श्री रमेश निवासी ग्राम धर्मगढी थाना सकरौली जिला एटा।

बनाम

1–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' जनपद कासगंज

2–जय सिंह पुत्र श्री मौजीराम निवासी ग्राम प्रहलादचक थाना सिढपुरा, जिला–कासगंज।

अपराध संख्या–14/2026
धारा–103(1) बी0एन0एस0
थाना–सिढ़पुरा, जिला–कासगंज।

11.03.2026

1– प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त विष्णु की ओर से अपराध संख्या–14/2026, धारा –103(1) बी0एन0एस0, थाना–सिढ़पुरा, जिला–कासगंज के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के निजी अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा जय सिह द्वारा एक तहरीर सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि वह ग्राम प्रहलादचक थाना सिढपुरा जिला कासगंज का रहने वाला है। उसका बेटा रजनेश गाजियाबाद में टैम्पों चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका बेटा रजनेश दीपावली पर अपने घर ग्राम प्रहलादचक आया था फिर दिनांक 26.10.2025 को समय करीब शाम 08: 00 बजे विश्नू पुत्र रमेश निवासी ग्राम बैरार थाना सकरौली जिला एटा उसके बेटे को गाजियाबाद ले जाने की कहकर अपने टैम्पों UP37 AT 0342 में फोन करके सिकन्द्रराऊ बुलाया और रजनेश को सिकन्द्राराऊ से गाजियाबाद ले जाते समय देवेश पुत्र अनारसिंह व आर्येन्द्र पुत्र कमलेश कुमार निवासी ग्राम प्रहलादचक के रहने वालों ने देखा था। वह और उसका पुत्र शीलेन्द्र रजनेश को तलाश करने गाजियाबाद विश्नू के पास पहुंचे तो विश्नू ने

Digitally signed by RAMESHWAR
Date: 2026.03.11 17:12:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पहले तो मना किया कि उसे नहीं पता रजनेश कहां है उसी समय विश्नू के टैम्पों से रजनेश का मोबाइन फोन व एयर फोन व चप्पल पड़े मिले तब उन्होंनं विश्नू से पूंछा कि रजनेश का सामान तेरे टैम्पों में है बता रजनेश कहा है, तब विश्नू ने बताया कि सिकन्द्राराऊ में वे दोनों शराब पी रहे थे, जहां पर उन दोनों के बीच झगडा हुआ। वहीं उसने रजनेश को मारने का मन बना लिया और गाजियाबाद के लिए वह टैम्पों लेकर चला। रजनेश पीछे बैठा था रजनेश को बहुत अधिक नशा हो रहा था, अलीगढ़ वाईपास पर उसने रजनेश को टैम्पो से उतार कर ऐक्सीडेन्ट दर्शाने के लिए अपने टैम्पो से कुचल कर मार दिया। बताते समय विश्नू अपने कमरे गाजियाबाद से पेशाब करने के बहाने भाग गया। वह अपने बेटे की तलाश करते हुए थाना लोधा जनपद अलीगढ़ में दिनांक 21.01.2026 तफ्तीश के रुप में मृतक के कपडे तथा फोटो मिले। थाना पुलिस लोधा ने जब कपड़े फोटो दिखाये तो उसने व उसके बेटे शीलेन्द्र ने भली भांति पहचान लिये। विश्नू पुत्र रमेश निवासी ग्राम बैरार थाना सकरौली एटा ने साजिशन उसके बेटे रजनेश की हत्या करके लोधा थाना अलीगढ़ रोड़ के किनारे डाल दिया। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4— अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त मुकदमें में झूॅठा व रंजिशन व गांव की पार्टीबन्दी के कारण फसाया गया है। वह निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुकद्दमा वादी के बेटा को कभी टेलीफोन करके किसी भी जगह पर नहीं बुलाया है और ना ही उसके द्वारा उसके साथ कोई वारदात की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त अलग गांव का निवासी है तथा वह गांव से बाहर दिल्ली में रहकर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कता है। वह दिल्ली और गाजियाबाद में अपना टैम्पो चलाता है तथा मुकद्दमा वादी का लड़का जो स्वयं झगडालू किस्म का व्यक्ति था, जो सारे दिन सवारियों को लाते ले जाते समय झगडा करता था। उसने एक दिन सवारियों से झगडा करते समय मुकद्दमा वादी के पुत्र को समझाया था कि सवारियों से झगडा नहीं करते है, इसी बात पर उक्त व्यक्ति उससे रंजिश मान गया था। मुकद्दमा वादी का पुत्र शराब पीने का आदी था। प्रतिदिन शराब पीकर किसी न किसी से झगडा करता था तथा शराब पीने के लिए किसी भी हद तक किसी भी व्यक्ति से उधारी मांगने लगता था, न देने पर उससे झगडा करता था। इसी रंजिश के तहत मुकद्दमा वादी के पुत्र को किसी भी व्यक्ति ने एक्सीडेन्ट कर थाना लोधा जनपद अलीगढ़ के क्षेत्र में फेंक दिया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज कराई गयी है। इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। मुकद्दमा उपरोक्त का कोई निष्पक्ष साक्षी नहीं है। गवाहान वादी मुकद्दमा के हितवद्ध साक्षी है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है ना ही पूर्व में सजायाफ्ता है। उसने मुकद्दमा उपरोक्त में वर्णित धाराओं के सम्बन्ध में कोई अपराध कारित

नहीं किया है और ना ही मुकद्दमा उपरोक्त से उसका कोई सम्बन्ध है। वह दिनांक 27.01.2026 से जिला कारागार कासगंज में निरूद्ध है तथा निहायत ही कमजोर व गरीब व्यक्ति है और अपनी जमानत देने को तैयार है और अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने वादी के पुत्र की टेम्पो से कुचलकर हत्या कारित की गयी है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की है।

6– पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित होता है कि प्रारम्भ में उक्त मामले में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर मृतक के गुम होने के सम्बन्ध में गुमशुदगी सम्बन्धित थाने पर दिनांक 18.11.2025 को दर्ज की गयी थी, जिसका तस्करा जी.डी. नं. 49 समय 18:24 दिनांकित 18.11.2025 में अंकित है। तदोउपरांत वादी ने 26.01.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतक रजनेश की टैम्पो संख्या UP37 AT 0342 से कुचलकर हत्या कारित किये जाने के सम्बन्ध में पुनः तहरीर दी, जिसके आधार पर उक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथनानुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध वादी के पुत्र रजनेश की टैम्पो संख्या UP37 AT 0342 से कुचलकर हत्या कारित किये जाने के अभियोग हैं। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व की कुल आठ चोटे आना एवं मृत्यु का कारण "Coma and hemorrahic shock Antemortem Injuries" से होना अंकित है। पत्रावली पर प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

7– अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है और जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त विष्णु द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

स्टेनो रामेश्वर दयाल

(रामेश्वर)
सत्र न्यायाधीश,
कासगंज।
11.03.2026